सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख, 1948 (श०)

संख्या - 235 राँची, मंगलवार, 19 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 मई, 2026

संख्या-5/आरोप-1-204/2017 का.-35977 (HRMS)--उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-598/स्था०, दिनांक-17.11.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-21/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2009-10 में क्रियान्वित तीन योजनओं को महज 03 वर्ष के अंतराल पर ही अधूरा एवं विवादित बताते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पुनः उसी स्थल पर (1) योजना संख्या-03/2014-15 कृष्ण मडैया के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार, (2) योजना संख्या-04/2014-15 बलदेव साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार एवं (3) योजना संख्या-05/2014-15 देवेन्द्र साहा के जमीन पर पोखरा का जीर्णोद्धार का कार्य करवाने एवं क्रियान्वित योजनाओं में FTO करते हुए राशि का गबन करने में सहयोग करने, अभिकर्त्ता के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन करने तथा उक्त तीनों योजना में फर्जी मस्टर रोल के सहारे लोकधन का जालफरेबी, धोखाधड़ी एवं कुटकरण के सहारे गबन कराकर बंदरबांट करने संबंधी कुल पाँच आरोप प्रतिवेदित किया गया है ।

2. श्री कुमार के विरूद्ध गठित उपर्युक्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तदनुसार विभागीय संकल्प संख्या-19967(HRMS), दिनांक-05.04.2023 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है ।

3. विभागीय कार्यवाही के उपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-27, दिनांक- 16.06.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ।

4. विभागीय पत्रांक-5696, दिनांक- 12.10.2023 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग एवं उपायुक्त, पाकुड़ से विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर मंतव्य की मांग की गयी।

उपायुक्त, पाकुड के पत्रांक 182/मनरेगा, दिनांक- 09.04.2025 के द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भी उपायुक्त, पाकुड के मंतव्य को इस विभाग को उपलब्ध कराया गया है ।

5. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, उक्त के संबंध में संबंधित विभाग एवं कार्यालय से प्राप्त मंतव्य/प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से संबंधित मूल अभिलेख को वापस करने तथा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0 को संचालन पदाधिकारी नामित करने संबंधी प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या-316, दिनांक-20.01.2026 के द्वारा मूल अभिलेख श्री सुनील कुमार, से०नि० भा०प्र०से० को भेजा गया ।

6. विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-643, दिनांक-16.04.2026 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें निम्नवत् मंतव्य/निष्कर्ष अंकित किया गयाः-

"प्रस्तुत मामले में श्री प्रदीप कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (अतिरिक्त प्रभार), हिरणपुर, जिला पाकुड़ के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के आलोक में विभागीय जाँच संपन्न की गई। जाँच के क्रम में आरोप-पत्र, संलग्न साक्ष्य, विभागीय अभिलेख, तकनीकी प्रतिवेदन, वर्षापात प्रतिवेदन, आरोपित पदाधिकारी के बचाव कथन, उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य तथा गवाहों के कथनों का सम्यक् परीक्षण किया गया। निम्नलिखित में आरोप संख्या 1 से 5 तक का क्रमवार निष्कर्ष प्रस्तुत है–

प्रथम आरोप के संबंध में यह कहा गया कि श्री प्रदीप कुमार संबंधित अवधि में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर के रूप में पदस्थापित थे। जाँच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि वे मूलतः लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड में पदस्थापित थे तथा हिरणपुर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। इस प्रकार, उनकी प्रशासनिक भूमिका स्थापित होती है, किन्तु इस आरोप से किसी प्रकार की अनियमितता या दुराचार स्वतः सिद्ध नहीं होता। अतः यह आरोप मात्र औपचारिक प्रकृति का पाया गया और किसी दंडनीय कृत्य का आधार नहीं बनता ।

द्वितीय आरोप में यह कहा गया कि वर्ष 2009-10 में संचालित योजनाओं को वर्ष 2014-15 में पुनः उसी स्थल पर क्रियान्वित कर वित्तीय अनियमितता एवं गबन किया गया। जाँच के दौरान यह तथ्य उभरकर सामने आया कि उक्त योजनाओं का पुनः क्रियान्वयन सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ के विधिवत आदेश एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के आधार पर किया गया था। आरोपित द्वारा प्रस्तुत पत्राचार इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। यद्यपि योजनाओं की पुनरावृत्ति प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न करती है, तथापि यह पुनः स्वीकृति पूर्व की योजनाओं में पाई गई त्रुटियों एवं अधूरेपन को दूर करने के उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है। भुगतान के संदर्भ में FTO प्रणाली का उपयोग किया गया, जो पारदर्शी एवं प्रचलित प्रक्रिया है। इस संदर्भ में किसी प्रकार के गबन या अनधिकृत भुगतान का प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। अतः यह आरोप प्रमाणित नहीं हो सका ।

तृतीय आरोप के अंतर्गत यह आरोपित किया गया कि मनरेगा नियमों के विरुद्ध अभिकर्ता के माध्यम से कार्य कराया गया। जाँच में यह पाया गया कि संबंधित अभिकर्ता कोई निजी ठेकेदार न होकर एक सरकारी पदाधिकारी थे, जिन्हें कार्य के पर्यवेक्षण हेतु नामित किया गया था। उपलब्ध कार्यादेश एवं दिशा-निर्देशों के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि कार्य का निष्पादन श्रम आधारित पद्धति से किया गया तथा किसी प्रकार की मशीनरी या ठेकेदारी व्यवस्था का उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकार, मनरेगा के मूल प्रावधानों का उल्लंघन प्रमाणित नहीं हुआ और यह आरोप भी असिद्ध पाया गया ।

चतुर्थ आरोप में मजदूरों को भुगतान न होने, उनके नाम से खाता न होने तथा FTO के माध्यम से गबन किए जाने की बात कही गई। जाँच के दौरान मजदूरों के कुछ बयानों में भुगतान न मिलने की बात सामने आई, किन्तु FTO अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किया गया। यह भी परिलक्षित हुआ कि मजदूरों के बयान पूर्व की योजनाओं (वर्ष 2009-10) में हुई अनियमितताओं से प्रभावित हो सकते हैं। वर्तमान योजनाओं के संदर्भ में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो कि राशि का दुरुपयोग किया गया या किसी बिचौलिया अथवा आरोपित के निजी खाते में स्थानांतरित हुई। अतः संदेह की स्थिति के बावजूद आरोप प्रमाणित नहीं हो सका ।

पंचम आरोप में वर्षा काल में कार्य दिखाकर फर्जी मस्टर रोल के माध्यम से धोखाधड़ी एवं नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। वर्षापात प्रतिवेदन में भारी वर्षा का उल्लेख अवश्य है, किन्तु स्थल की भौगोलिक स्थिति (ढालू क्षेत्र) के कारण कार्य पूर्णतः असंभव था, यह स्थापित नहीं हो सका। गवाहों के बयानों एवं स्थल निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि तालाब वर्तमान में उपयोगी स्थिति में है तथा उसमें जल संचयन हो रहा है, जिसका उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा किया जा रहा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि कार्य वास्तविक रूप से निष्पादित हुआ है। फर्जी मस्टर रोल के संबंध में भी कोई ठोस तकनीकी या दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ। अतः यह आरोप भी असिद्ध पाया गया ।

समस्त आरोपों के समेकित विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप मुख्यतः परिस्थितिजन्य, अनुमान आधारित एवं आंशिक तथ्यों पर आधारित हैं। आरोपों के समर्थन में कोई ठोस, प्रत्यक्ष एवं निर्विवाद साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका।

योजनाओं का क्रियान्वयन सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार किया गया, कार्य का भौतिक अस्तित्व प्रमाणित है तथा भुगतान प्रक्रिया नियमानुसार संपन्न हुई है ।

अतः आरोपी पदाधिकारी श्री प्रदीप कुमार पर अधिरोपित आरोप संख्या 1 से 5 तक कोई भी आरोप संलग्न साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होते हैं ।"

7. अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-421, दिनांक-14.12.2017 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-598/स्था0, दिनांक-17.11.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री प्रदीप कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप से श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-21/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ को आरोप मुक्त किया जाता है ।

8. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	PRADIP KUMAR 20060400009	विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के पत्रांक-421, दिनांक- 14.12.2017 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-598/स्था0, दिनांक-17.11.2017 द्वारा गठित आरोप पत्र में श्री प्रदीप कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप से श्री प्रदीप कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-21/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हिरणपुर, पाकुड़ को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 235 - 50